

आवेदन पत्र को सम्बंध में जांच की गई। जिसके अनुसार रिपोर्ट पटवारी हल्का / आई०एल०आर०

०१/०८/२०२०

सीमान्त, पत्रा मंडल जिला कृषि के जमाबंदी लम्बा २०७५-७८ के खता
 संपन्न १५५ मू. खेत से मेशाधर कु इस्फूल सिंह जिनका दर्ज है जो कि
 संपन्न खेतों के माध्यम पर शेष धार कु इस्फूल सिंह किया जाना उचित है।

29/10/2024

कार्यालय तहसीलदार, उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी

क्रमांक :- राजस्व / 2020 /

दिनांक :-

ग्राम पंचायत मैनागा
 पं.स. उदयपुरवाटी (सू. 32)

मूल ही उपखण्ड अधिकारी प्रहोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है / उचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरुस्त किये जाने की अभिशंका की जाती है / नहीं की जाती है।

29/10/2024

तहसीलदार, उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी

755
 21

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं (राज.)

आदेश :-

दिनांक :- 29/10/2024

प्रार्थी के 'खाता दुरुस्ती' प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दरतावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (भू०अ०) उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू०अ०) उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबंदी सम्वत्	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1	गढल / कल	2075-2078	154	मेशाधर कुमार कु इस्फूल सिंह	मेशाधर कुमार कु इस्फूल सिंह

नोट :- शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जावे।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

क्रमांक :- राजस्व / 2020 /
 प्रतिलिपि :-

562-63

दिनांक :- 29/10/2024

1. तहसीलदार (भू०अ०) उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी को वारंते पालनार्थ।
2. प्रार्थी / प्रार्थीया

को सूचनार्थ।



उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी